न्यायालय उप जिला कलैक्टर, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद सं. 09/2021

1. चांदी देवी पत्नी शेराराम उम्र 78 वर्ष
2. तुलसाराम पुत्र शेराराम उम्र 51 वर्ष
3. खीयांराम पुत्र शेराराम उम्र 46 वर्ष
4. भंवरलाल पुत्र शेराराम उम्र 45 वर्ष
5. राजाराम पुत्र शेरारा उम्र 43 वर्ष

अकवाम मेघवाल निवासीगण चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

———वादीगण

बनाम

1. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. शान्ति पुत्री शेराराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति मेघवाल उम्र 53 वर्ष निवासी माझेवाला 9 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. रामप्यारी पुत्री शेराराम पत्नी कालूराम जाति मेघवाल उम्र 49 वर्ष निवासी बाजूवाला तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर
4. लिछमा पुत्री शेराराम पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर
5. गुडडी पुत्री शेराराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति मेघवाल उम्र 47 वर्ष निवासी सुरजनसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर
6. सावित्री पुत्री शेराराम पत्नी राजूराम जाति मेघवाल उम्र 41 वर्ष निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री अनिल कुमार गखड – वादीगण की ओर से
2. पैरोकार राज. – प्रतिवादी सं.1की ओर से
3. श्री रमेश सौलंकी – प्रतिवादी सं.2ता6 की ओर से

निर्णय — दिनांक – 14.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] ने एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 आर टी एक्ट के [illegible] किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2 ता6 के पति पिता शेराराम पुत्र चुहड [illegible] जाति

मेघवाल निवासी खाल को चक 5 एन डी तहसील अनूपगढ का मं.न.8 पं.सं. 254/484 के कि.नं.1,2,9ता12,19ता23 कुल 2.657 हैक्टर वा मुरब्बा नं.7 पं.स. 255/483 के कि.न.13ता25 कुल 3.0610 हैक्टर कुल 5.718 हैक्टर यानि 23–10 बीधा कृषि भूमि आवंटित हुई थी । वादीगण के पति /पिता शेराराम का देहान्त दिनांक 20.12.2016 को हो चुका है ायंदा उक्त कृषि भूमि को विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा ।उपरोक्त मूल आवंटी शेराराम पुत्र चुहडू की आवंटन पत्रावली मिसल सं.1390/1973 में सहबन से शेराराम पुत्र चुहडराम जाति मेघवाल के स्थान पर नायक दर्ज हो गया तथा राजस्व रिकार्ड बनने से पूर्व मूल आवंटन पत्रावली में भी जाति चमार होना दर्ज है उपरोक्त लिपिकिय त्रुटि है वादीगण के पति/पिता अनपगढ ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति थे तथा अगुठां छाप थे जिन्हे आवंटन के समय इस तथ्य का ज्ञान नंही हो पाया, ना ही उनके जीवनकाल में उक्त तथ्य वादीगण अथवा प्रतिवादी सं.2ता6 के ज्ञान में आया। अब उनकी मृत्यू उपरांत इस भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिऐ पटवारी हल्का के पास गये तो उन्होने बताया कि प्रकरण में जाति की दुरूस्ती होनी आवश्यक है। वादीगण के पति/पिता शेराराम पुत्र चुहडुराम की जाति मेघवाल थी लेकिन आवंटन के वक्त तथा तदुपरांत राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता की जाति मेघवाल के स्थान पर नायक हो गई जो कि एक सदभाविक एवं लिपिकिय भूववश रिकार्ड तैयार करते समय हुई त्रुटि है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण के पति/पिता शेराराम के देहान्त उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 को विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है जो वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 के सयुक्तं रूप से अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है तथा विवादित भूमि के समस्त प्रकार के हक अधिकार व स्वामित्व वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 में निहित हो चुका है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 उक्त विवादित भूमि के सम्बधं में अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर उक्त विवादित भूमि विरास्तन बहिस्सा बराबर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधि क अधिकारी एवं दावेदार है आदि–2 ताईद मे वादी ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सं.2ता6 ने उपस्थित होकर ईकबाल दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी सं.1 ने भी अपना जबाब दावा प्रस्तुत करते हुऐ वादीगण के वाद पत्र के सम्बधं में कोई विरोध नंही किया। तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से प्राप्त की गई जो शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात विरचित की गई :–

1. आया वादीगण वाके चक 5 एन डी तहसील अनूपगढ का मं.न.8 पं.सं. 254/484 के कि.नं.1,2,9ता12,19ता23 कुल 2.657 हैक्टर

वा मुरब्बा नं.7 पं.स. 255/483 के कि.न.13ता25 कुल 3.0610 बीधा हैक्टर कुल 5.718 हैक्टर यानि 23–10 बीधा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज अपने पिता शेराराम की अंकित जाति नायक को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर जाति मेघवाल दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है ?

2. आया वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 वाद पत्र की मद सं.2 में दर्ज कृषि भूमि के सम्बधं में मूल खातेदार मृतक शेराराम की विरास्तन अधिकार के तहत अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बहिस्सा बराबर विरास्तन आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है ?

3. अनुतोष

साक्ष्य वादीगण में वादी तुलसाराम पीड–1 की ओर से मुख्य परीक्ष का शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षीत करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श1 जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, अनवानी शेरा पुत्र चुहडू मिसल नं.1390/73 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 , असल मृत्यू प्रमाण पत्र शेराराम प्रदर्श–3 , असल वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 13.7.2018 प्रदर्श 4 , भूमि पास बुक प्रदर्श 5 , पटटा प्रदर्श 6 , मूल निवास प्रमाण पत्र शेराराम प्रदर्श 7 ,जाति प्रमाण पत्र शेराराम प्रदर्श 8, बचत खाता शेराराम प्रदर्श 9 , जाति प्रमाण पत्र तुलसाराम प्रदर्श 10,मूल निवास प्रमाण पत्र तुलसाराम प्रदर्श 11, आधार कार्ड तुलसाराम प्रदर्श 12 जिनकी फोटो प्रतिया क्रमशः प्रदर्श 3ए से प्रदर्श 12ए है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नंही करना चाहा। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया कि वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पति/पिता शेराराम की अंकित जाति नायक को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर जाति मेघवाल दर्ज किए जाने व इसी अनुसार वाद पत्र की मद सं.2 में दर्ज कृषि भूमि में मूल खातेदार मृतक शेराराम के विरास्तन अधिकार के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि का शेराराम पुत्र चुहडू रिकार्डड टीनेन्ट है तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदार शेराराम की जाति नायक दर्ज है । जबकि शेराराम की जाति मेघवाल ही है। मृतक शेराराम व वा[illegible]रा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज मे भी खातेदार शेराराम की [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कि[illegible] उक्त दस्तावेजात जिनमें खातेदार शेराराम व वादीगण की जाति मेघवा[illegible] दर्ज है। कानूनन व नियमानुसार कृषि भूमि पर ऋण व सरकारी सहायता देते समय सम्बधिंत संस्था/विभाग द्वारा काश्तकार के दस्तावेजो मे दर्ज नाम व जाति की पुष्टि होने पर ही काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested

को ऋण / सरकारी सहायता प्राप्त होती है तथा ऐसा ही नियम भूमि हस्तान्तरण के समय दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के सम्बधं मे है। अगर राजस्व रिकार्ड में अकिंत खातेदार की जाति को सही नंही किया जाता तो वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पडेगा। पत्रावली पर आये तथ्यो व दस्तावेजो के प्रकाश में वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे खातेदार शेराराम की गलत अंकित जाति नायक को दुरूस्त किया जाकर सही जाति मेघवाल अकिंत किये जाने योग्य है चूकिं मूल खातेदार शेराराम की मृत्यू दिनांक 20.12.2016 को हो चुकी है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस है ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार शेराराम के विरास्तन अधिकार के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2ता6 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने योग्य है तथा ऐसे किए जाने से पक्षकारान की श्रेणी में भी कोई परिवर्तन नंही आ रहा है तथा प्रतिवादी सं.1 द्वारा भी वादी के दावे में सम्बधं में कोई विरोध दर्ज नंही करवाया गया है इन परिस्थितियों में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं.2ता6 को विरास्तन अंकन करने व जाति की त्रूटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र में अंकित कृषि भूमि वाके वाके चक 5 एन डी तहसील अनूपगढ का मं.न.8 पं.सं. 254/484 के कि.नं.1,2,9ता12,19ता23 कुल 2.657 हैक्टर वा मुरब्बा नं.7 पं.स. 255/483 के कि.न.13ता25 कुल 3.0610 बीधा हैक्टर कुल 5.718 हैक्टर यानि 23–10 बीधा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में खातेदार शेराराम की जाति नायक के स्थान पर मेघवाल अकिंत किये जाने एवं मृतक खातेदार शेराराम के विरास्तन अधिकार के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2ता6 के उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार घोषित जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता6 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को दिये जाते है। डिक्री पर्चा इसी अनुसार मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी ,
अनूपगढ़